to benefit the foreign supplier result-ing in the non-settlement of the anticipated Trading Loss of Rs. 27.73 lakhs to NCCF after they failed to supply Lentns to NCCF; and

(d) if so, what action has been taken against the guilty officers and what is the progress of the Arbitration proceedings?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUP PLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) NCCF has reported that due to certain technical problems in the Turkish Banking System and also to ensure that the party does not wriggle out of the contract, a cash security of Rs. 1.10 lakhs was accepted from the representative of the Shippers in lieu of 3 per cent Performance Guarantee.

(b) No, Sir.

(c) and (d) There was no intentional delay in the arbitration proceedings, which could not progress due to non-acceptance of the legal notice by the party in Vienna. The Indian Embassy in Vienna who had been contacted for serving the notice to the party responded on 6-7-87 asking for certain documents which the NCCF is now forwarding to them.

The matter has been referred to the CBl for investigation.

मंडल संख्या 12 में राशन कार्डों का जारी किया जाना

859. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महिने के दौरान संघ राज्य दिल्ली में माडल टाउन मंडल संख्या 12 के अंतर्गत रहने वाले संत नगर व बुराडी गांव के निवासियों ने नए राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया गया है ;

(ग) कितने आवेदन पत्र अभी लंबित पड़े हैं ;

(घ) इन आवेदन पत्रों को न निपटाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार निपटान हेतु लंबित सभी आवेदन पत्रों पर उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड जारी करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त हुए 78 आवदनों में से 61 को निपटाया जा चुका है ।

(ग) और (घ) शेष 17 आवेदकों के निवास का सत्यापन दिल्ली नगर निगम द्वारा क्षेत्र में मकान ढाने का कार्य शुरू कर दिए जाने के कारण नहीं किया जा सका ।

(ङ) और (च) शेष 17 आवदनों को दिल्ली प्रशासन द्वारा नए राशन कार्ड जारी करने की अपनी मौजूदा नीति, जैसे आवेदकों के निकास का सत्यापन करना, आदि के अनुसार निपटाया जाएगा ।

Fire proof hotels in Delhi

860. SHRI K. GOPALAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of hotels in Delhi which are Are proof;

(b) the details of those hotels which have no fool proof fire safety system as on date;

(c) whether it is mandatory to obtain fire safety certificates before they start functioning if so, what are the details thereof;

(d) whether some applications are presently pending with appropriate